मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) : आधुनिक दासता

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

विषय सूची

1. परिचय 1
2. बाल अधिकारों के मुद्दे 1
3. अपराध के लिए सुनियोजित योजना 1
4. मानव दुर्व्यापार की परिभाषा 2
5. मिथक और तथ्य 5
6. मानव स्मगलिंग और मानव दुर्व्यापार में अंतर 8
7. आंकड़े 8
8. दुर्व्यापार क्यों 10
9. दुर्व्यापार का शिकार 11
10. दुर्व्यापारी कौन है 11
11. कौन दुर्व्यापार की शिकायत दर्ज कर सकता है 13
12. शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है 15
13. मानव दुर्व्यापार से संबंधित मुद्दों के लिए कानून के प्रावधान 16
14. बचाव प्रक्रिया 18
15. पुनर्वास 19
    i. मनोवैज्ञानिक पुनर्वास
    ii. आर्थिक क्षतिपूर्ति
    iii. शैक्षिक पुनर्वास
16. दुर्व्यापार का मुकाबला करने में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व 23

मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग): आधुनिक दासता

बेगार के लिए अगवा कर लेना या बंधक बना लेना मानव दुर्व्यापार का एक प्रमुख उद्देश्य है| शोषण, बेगार और गुलामी का इतिहास मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) का भी इतिहास है| दासता और शोषण मानव दुर्व्यापार के प्रमुख रूप हैं|

बाल अधिकारों के मुद्दे

मानव दुर्व्यापार (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) का शिकार होने वाले लोग महिलाओं, बच्चों और पुरुषों सहित समाज के सभी वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं; किन्तु बच्चों के लापता होने और उनका दुर्व्यापार होने के मामले में बढोतरी तेजी से हो रही है| संवेदनशील और कमजोर होने के कारण ज्यादातर मासूम दुर्व्यापार, बाल दासता और अवैध व्यापार के आसानी से शिकार हो जाते हैं| दुर्व्यापार के शिकार होने वाले बच्चों को अमानवीय परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और दासता की क्रूरतापूर्ण जीवनशैली को स्वीकार करना पड़ता है|

अपराध के लिए सुनियोजित योजना (ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एप्रोच)

मानव दुर्व्यापार न सिर्फ एक गंभीर मुद्दा है, बल्कि यह संगठित अपराध है, क्योंकि दुर्व्यापार का अपराध करने वाले ज्यादातर अपराधी आम तौर पर एक-दूसरे के साथ मिलकर अपराध करते हैं और इसकी कोई सीमा नहीं है क्योंकि अपराधी क्षेत्रीय, स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर काम करते हैं|

दुर्व्यापार में कई अपराधों के तत्व अपने-आपमें शामिल हैं, क्योंकि जब पीड़ित व्यक्ति की ट्रैफिकिंग की जाती है, जिससे उसे बलपूर्वक बेगार/बंधुआ मजदूरी के लिए विवश किया जा सके; तब मंजिल (मार्किट) पर पहुँचने से पहले ही उसके साथ कई अपराध हो चुके होते हैं, जैसे –

- खरीदना-बेचना
- बंधुआ मजदूरी
- जबरन श्रम
- बाल श्रम
- मसाज पार्लर आदि में यौन शोषण
- वेश्यावृत्ति

- अश्लील साहित्य या इसी तरह के उद्देश्यों के लिए यौन शोषण
- जबरन विवाह
- बाल सैनिक (युद्ध में बच्चों का उपयोग)
- बच्चों के साथ क्रूरता, अपहरण, मारपीट, धमकी
- अंगों को जबरन हटाना/अंगों का दुर्व्यापार आदि|

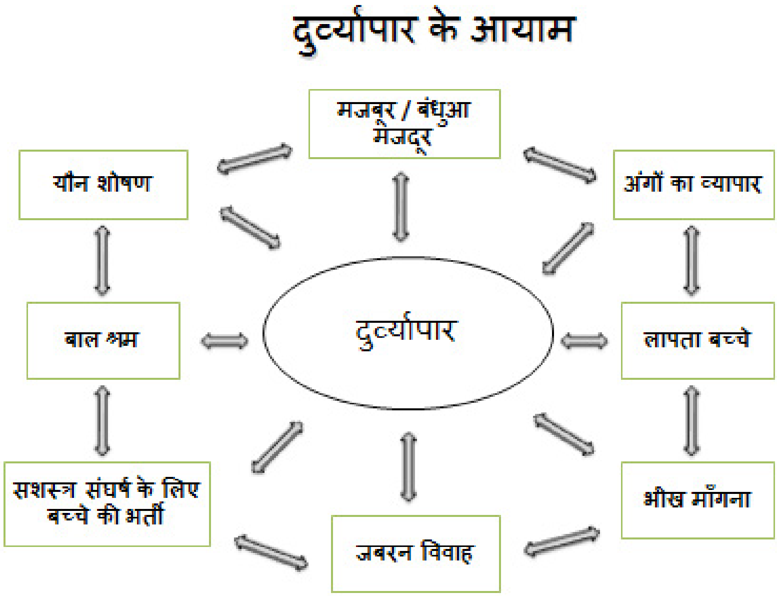

मानव दुर्व्यापार की परिभाषा

संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है| संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के अनुसार, मानव का अवैध व्यापार अपराध है| **संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल, 2002 के अनुच्छेद 3** की परिभाषा के अनुसार, किसी व्यक्ति को बल-प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा का सहारा लेकर उसकी भर्ती करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना या बंधक बना कर रखना मानव दुर्व्यापार के तहत आता है| इसमें पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी आदि काम पीड़ित व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कराये जाते हैं|

शोषण में कम से कम किसी व्यक्ति को खरीदने या उसे ले जाने का प्रयास, किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना अथवा अन्य तरीकों से उसका यौन शोषण, जबरन श्रम या सेवाएं, गुलामी, दासता, बेगार, गुलामी की तरह की अन्य प्रथाएं तथा अंगों को हटाने के लिए मजबूर करना आदि आता है|

भारत में, **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम (आई०टी०पी०ए०), 1956** के अनुसार, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को लाना, फुसलाना या बहलाने की चेष्टा करना दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) में शामिल है, जो दंडनीय अपराध है|

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370 दुर्व्यापार को इस रूप में परिभाषित करती है: कोई भी व्यक्ति अगर शोषण के इरादे से 'किसी व्यक्ति अथवा किन्हीं व्यक्तियों को' –

i. डरा-धमकाकर; या
ii. बल-प्रयोग अथवा किसी भी अन्य प्रकार की प्रताड़ना का प्रयोग करके; या
iii. अपहरण द्वारा; या
iv. धोखे अथवा कपट का प्रयोग करके; या
v. ताकत का दुरुपयोग कर; अथवा
vi. किसी तरह का लालच देकर
    1) नौकरी पर रखता है
    2) एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है
    3) आश्रय देता है
    4) दूसरे को सौंप देता है; या
    5) किसी दूसरे से हासिल करता है –

तथा इस हेतु व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदा देता है अथवा प्राप्त करता है, तो वह दुर्व्यापार का अपराध करता है|

- *'शोषण' का अर्थ है - शोषण का कोई काम, किसी प्रकार का यौन (लैंगिक) शोषण, दासता अथवा दासों के सामान व्यवहार या अंगों को हटाने के लिए मजबूर करना आदि|*
- *दुर्व्यापार के अपराध के पीड़ित की सहमति कोई मायने नहीं रखती|*

संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के अनुसार, मानव दुर्व्यापार के अपराध में निम्नलिखित घटक आवश्यक रूप से शामिल होते हैं –

गतिविधियाँ (इनमें से कोई भी)	मतलब/तरीके (इनमें से कोई भी)	उद्देश्य/इरादा (इनमें से कोई भी)
• भर्ती • देशनिकाला • हस्तांतरण • अधीन रखना • हासिल करना	• धमकी • बल-प्रयोग • अन्य बाध्यकारी उपाय • अपहरण • धोखा • छल-कपट • दुरुपयोग: 1. शक्ति अथवा प्रभाव-शाली पद का 2. असुरक्षा की स्थिति का	• शोषण के प्रयोजन के लिए • वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना • यौन शोषण के अन्य रूप • बलात श्रम या सेवाएं • गुलामी या गुलामी की तरह की अन्य प्रथाएं • दासत्व • अंगों को हटाने के लिए मजबूर करना

- दुर्व्यापार से पीड़ित यदि कोई वयस्क है और उससे काम करवाने के लिए यदि सहमति ले ली गई है, तो भी यह अवैध व्यापार के प्रावधानों से बचने के लिए काफी नहीं है; क्योंकि सहमति बल-प्रयोग, उत्पीड़न, भय, किसी दबाव के कारण अथवा ऊपर लिखे किसी भी कारण से यदि ली गई है, तो उस सहमति का कोई अर्थ नहीं होता| बच्चों के मामलों में भी सहमति का कोई अर्थ नहीं है, भले ही ऊपर लिखे किसी भी कारण का उल्लेख न हो; इसलिए ऐसे सभी उदाहरण मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आ जाते हैं|

मिथक और तथ्य

मिथक	तथ्य
पीड़ित को उनकी मर्जी के खिलाफ बल-प्रयोग करके या फिर बंधक बनाकर रखा जाता है	हाँ! यह सच है| पीड़ित का दुर्व्यापार कर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है| अनेक बार मनोविज्ञान का सहारा लेकर उन पर नियंत्रण रखा जाता है; जैसे कि – उन्हें डरा-धमकाकर, धमकी देकर, उनकी दयनीय स्थिति या नशीली पदार्थों की उनकी लत का लाभ उठाकर, उनकी गरीबी, संसाधनों की कमी या उनके बेघर होने के कारण उन पर नियंत्रण रखना आसान हो जाता है| ये वह परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण पीड़ित शोषणकारी परिस्थितियों से मुक्त नहीं हो पाता| दुर्व्यापार करने वाले कुछ लोग लोगों को फंसाने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए अत्यंत सूक्ष्म तरीकों का प्रयोग करते हैं; जैसे – • बाहरी लोगों के साथ उनका मिलना-जुलना कम कर देना; उन पर लगातार नज़र रखना, परिवार और समाज से उन्हें दूर कर देना • उनके दस्तावेजों को जब्त कर लेना • उनके परिवार की अपमानजनक स्थितियों को उजागर करके उन्हें शर्मिंदगी महसूस कराना • परिवार का अहित करने की धमकी • उन्हें जेल भेजने या निवास स्थान से निकाले जाने की धमकी देना • आर्थिक दायित्वों के कारण उन पर लिए गए ऋण तथा निरंतर बढ़ते जा रहे ऋण का बंधन • पीड़ित के पैसों पर अपना नियंत्रण रखकर
मानव दुर्व्यापार केवल व्यावसायिक यौन शोषण के लिए है	नहीं| इसमें श्रम दुर्व्यापार भी शामिल है, जिसमें बच्चों और वयस्कों को बल-प्रयोग से, धोखा देकर या जबरन श्रम के माध्यम से अपनी सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जाता है| इसके अलावा अंगों के व्यापार, जबरन शादी आदि के लिए भी दुर्व्यापार किया जाता है|

पीड़ित अवैध व्यापार से बचना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है	जो व्यक्ति दुर्व्यापार के शिकार हैं, वे शर्म, खुद को दोष देने, भय आदि कारणों से आसानी से किसी से मदद नहीं मांग पाते हैं| उनका दुर्व्यापार या शोषण करने वाले व्यक्ति के माध्यम से उन्हें विशिष्ट निर्देश दिये जाते हैं; जैसे कि दूसरों, विशेष रूप से कानून लागू करने वाले लोगों के साथ बातचीत और व्यवहार कैसे करें! पीड़ित को यह अहसास ही नहीं होता कि उसके कुछ अधिकार हैं|
केवल महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार होता है	नहीं| दुर्व्यापार करने वाले कमजोर लोगों का शिकार करते हैं| अधिकतर मामलों में शुरुआत मानव दुर्व्यापार के विभिन्न हथकंडों और झूठे वचनों से, धोखा खाने से होती है| जिन लोगों का दुर्व्यापार होने का जोखिम होता है, उसके पीछे कई कारक होते हैं; जैसे कि – दुरुपयोग या यौन हिंसा, गरीबी, बेरोजगारी, जीवन की अस्थिर स्थितियां या बेघर होना आदि|
जब किसी कार्यकर्ता की नियुक्ति कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होती है, तो उसके लिए मजबूर श्रम या अपमानजनक स्थिति में रहने और काम करने की संभावना नहीं होती	यदि श्रमिक की नियुक्ति कानूनी रूप से होती है, तो भी जबरन श्रम हो सकता है; जैसे कि – प्रवासी (विदेशी या समुद्र पार) भर्ती
पीड़ित या पीड़ित के परिवार को पता था कि सेवा या श्रम के लिए ही उन्हें भुगतान किया गया है	नहीं, यह सच नहीं है| पीड़ित व्यक्ति को बल-प्रयोग कर, डराकर, धोखा देकर, हिंसा का प्रयोग कर भर्ती किया गया था या बंधक बनाकर लाया गया था| पीड़ित व्यक्ति से देह व्यापार, घरेलू काम, गुलामी आदि कार्य उसकी इच्छा के विरुद्ध कराये जाते हैं|

पीड़ित के पास बचने और जाने का अवसर था, लेकिन वह नहीं गया	यह सच नहीं है| पीड़ित के साथ रणनीति और तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसका अपने जीवन और जीवन शैली पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता; जैसे – - पीड़ित को शारीरिक रूप से कैद कर नशीली दवाओं का आदि बना देना - अपने निजी लाभ के लिए पीड़ित का वस्तु की तरह से इस्तेमाल और शोषण - बच निकलने की कोशिश करने पर पीड़ित की स्थिति बदतर कर देने की धमकी - उन्हें बताना कि उनसे सिर्फ तब तक काम कराया जाएगा, जब तक उनके बढ़ते हुए ऋण का भुगतान न हो जाये - पीड़ित को उनके जीवन और जीवन के तरीके पर नियंत्रण न रखने देना - पीड़ित का स्थान रहस्मय तरीके से बदल जाना - धोखा, जबरदस्ती, राजनैतिक प्रभाव द्वारा मजबूर पीड़ित की कमजोरियों का फायदा उठाना - अवैध व्यापार के शिकार व्यक्ति से गुलामी करवाना, दासता या बंधुआ मजदूरी - पीड़ित की गतिविधियों को नियंत्रित करना, उस पर निगरानी रखना, उसे डराकर रखना - पीड़ित को खुद या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध हिंसा की धमकी मिलना - पीड़ित का पासपोर्ट, यात्रा अथवा अन्य पहचान दस्तावेज उसके कब्जे में न होना - अवैध व्यापार के शिकार लोगों का स्थानीय भाषा से अपरिचित होना - सजा देकर दुर्व्यापार के शिकार को अनुशासित करना - उन्हें शर्मसार कराना कि उनके साथ जो शारीरिक या यौन शोषण हुआ है, उसे परिवार और समाज में सार्वजनिक कर दिया जाएगा - श्रम के बदले में कम या कोई भी वेतन न मिलना - जरुरत से ज्यादा लम्बे समय तक काम करवाना - अपने काम से कोई छुट्टी न मिलना - गरीबी में रहना - चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध न होना - परिवार या दूसरे लोगों के साथ सीमित संपर्क होना - खुलकर दूसरों के साथ संवाद करने की परिस्थिति या मन:स्थिति न होना - पीड़ित को यह अहसास देना कि वे ऋण चुकाने के लिए बंधे हुए हैं - पीड़ित को यह अहसास दिलाना कि वह उन पर निर्भर है| उसका भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ढंग से शोषण करना इन परिस्थितियों में पीड़ित हताश और निराश हो जाता है और इस विश्वास को भी खो बैठता है कि उसे कहीं से कोई मदद मिल सकती है| प्राय: उसे इस बात की जानकारी भी नहीं होती कि उसे कहाँ से सहयोग मिल सकता है

मानव दुर्व्यापार और मानव स्मगलिंग में अंतर

मानव दुर्व्यापार	मानव स्मगलिंग
मानव दुर्व्यापार में जबरन श्रम, शोषण और वेश्यावृत्ति आदि जैसे कामों के लिए व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है|	स्मगलिंग का अर्थ अपनी इच्छा से अवैध रूप[1] से किसी देश में प्रवेश करना है| स्मगलिंग में एक निर्धारित शुल्क के लिए लोगों को एक देश की सीमा के पार ले जाया जाता है और कुछ चीजों, जैसे सोना और ड्रग्स को भी किसी देश की सीमा में सप्लाई किया जाता है| यह पूरा काम हो जाने के बाद स्मगलिंग करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है| यह मानव दुर्व्यापार से अलग है, क्योंकि यह प्रवास किसी दूसरे के द्वारा छल, बल अथवा धोखाधड़ी से प्रेरित नहीं है; इसीलिए यह शोषण का कारण भी नहीं है|
मानव दुर्व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय सीमा-पार करने की आवश्यकता नहीं होती है| मानव दुर्व्यापार राष्ट्रीय स्तर पर या एक समुदाय के भीतर भी हो सकता है| इसमें आवागमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, किन्तु ह्यूमन ट्रैफिकिंग सदैव शोषण के उद्देश्य से की जाती है|	मानव स्मगलिंग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा-पार करने की आवश्यकता होती है| इसमें सदैव आवागमन होता है और शोषण नहीं होता|

आंकड़े

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2016 में बताया गया कि वर्ष 2016 में 15,379 पीड़ितों का दुर्व्यापार हुआ था और दुर्व्यापार के 23117 पीड़ितों को बचाया गया था (इसमें पिछले वर्षों के दुर्व्यापार से पीड़ित लोग शामिल हैं) जो कि शोषण के विभिन्न रूपों में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर किये गए। यह उल्लेख करना जरूरी है कि विपरीतलिंगी अथवा ट्रांसजेंडर के दुर्व्यापार के मामले भी हुए थे| इसका स्पष्ट रूप से तात्पर्य है कि दुर्व्यापार का अपराध किसी विशेष वर्ग या लिंग तक ही सीमित नहीं है। वर्ष 2016 में 1,11,569 बच्चों के गायब होने की सूचना मिली थी| माना जाता है कि इनका शोषण के उद्देश्यों के लिए दुर्व्यापार या अपहरण कर लिया गया है, जिनमें से 55,9,44 (पिछले वर्ष के डेटा सहित) को खोज लिया गया| यह आंकड़ा मौजूदा कानून प्रवर्तन तंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

---

1 यदि कोई नियमों का उल्लंघन करते हुए समय-सीमा से अधिक समय तक कहीं और अथवा किसी दूसरे देश में प्रवास करता है, तो यह अवैध है|

भारतीय श्रम मंत्रालय ने आईएलओ की 'आधुनिक दासता के वैश्विक अनुमान' (Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage 2017) नामक रिपोर्ट में दुर्व्यापार के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है -

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और वॉक फ्री फाउंडेशन (डब्ल्यूएफएफ) द्वारा जारी वर्ष 2017 के आधुनिक गुलामी संबंधी वैश्विक अनुमानों में दुनिया भर में तकरीबन 4 करोड़, 3 लाख लोगों को गुलामी का शिकार बताया गया है।
- उल्लेखनीय है कि दुनिया भर में आधुनिक गुलामों में महिलाओं की संख्या (29 लाख यानि 71%) सबसे अधिक है। इसके बाद बच्चे सबसे अधिक (तकरीबन 1 करोड़ अर्थात् 25%) गुलाम हैं।
- गुलामी में फँसे 4 करोड़, 3 लाख लोगों में से तकरीबन 2.5 करोड़ लोग जबरन श्रम तथा 1॰5 करोड़ जबरन विवाह से संबद्ध पाए गए।
- इसके अतिरिक्त तकरीबन 2॰5 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़, 10 लाख का निजी क्षेत्र द्वारा शोषण, 4.8 मिलियन जबरन यौन शोषण तथा 4.1 मिलियन लोग सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिरोपित जबरन श्रम में लिप्त पाए गए।
- निजी क्षेत्र में जबरन श्रम से संबद्ध 50% लोगों की दासता का प्रमुख कारण कर्ज़दार होना पाया गया। वहीं कृषि, घरेलू कार्य एवं विनिर्माण क्षेत्र में काम करने के लिये मजबूर वयस्कों में यह अनुपात बढ़कर 70% तक पाया गया है।
- इसके अतिरिक्त निजी तौर पर अधिरोपित जबरन श्रम के अंतर्गत पुरुषों (68 लाख या 42.4%) की तुलना में महिलाएँ (9.2 लाख या 57.6%) अधिक प्रभावित पाई गईं।
- रिपोर्ट के अनुसार, वयस्कों का सबसे बड़ा हिस्सा (24%) घरेलू श्रमिकों के रूप में कार्यरत है, इसके बाद निर्माण क्षेत्र (18%), कृषि एवं मछली पकड़ने (11%) तथा विनिर्माण क्षेत्र (15%) का स्थान आता है।
- इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक सेक्स उद्योग में महिलाएँ सबसे अधिक (99%) जबरन श्रम की शिकार पाई गईं। जबरन विवाह की शिकार महिलाओं का अनुपात 84% दर्ज़ किया गया।

- ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2016 के अनुसार, दुनिया भर की तुलना में भारत में गुलामों की संख्या सबसे अधिक थी। यहाँ तकरीबन 1 करोड़, 83 लाख लोग आज भी दासता की बेड़ियों में बँधे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की लगभग 1.4% आबादी गुलामों जैसी स्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रही है।

- इसके अलावा, 2016 में 5 से 17 वर्ष के 15 करोड़ 16 लाख बच्चे बाल श्रम में शामिल थे, जबकि लगभग 50% (7 करोड़ 25 लाख) खतरनाक कार्यों में शामिल थे। उल्लेखनीय है कि 70.9% बाल श्रम कृषि क्षेत्र पर केंद्रित था, जबकि 11.9% उद्योग में संलिप्त पाया गया।

दुर्व्यापार क्यों

मानव दुर्व्यापार के निम्न कारण हैं –

- सबसे अधिक लाभदायक आपराधिक गतिविधि है| नशीली दवाओं और हथियारों के बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध माना जाता है| इसका पूरा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है| 2014 में आई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, मानव दुर्व्यापार से हर वर्ष पूरी दुनिया में करीब 150.2 बिलियन डॉलर की कमाई की जाती है| यह कमाई गूगल, ईबे और अमेजान जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कुल सलाना कमाई के बराबर है|

- मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर बाज़ार संचालित उद्योग

- एकमात्र ऐसा उद्योग, जिसमें मांग और आपूर्ति सामान है

- आसान और कम लागत वाला व्यवसाय, जिससे यौन शोषण हेतु कमजोर लड़कियों और बच्चों की खरीद-फरोख्त और शोषण किया जा सके

- आई०एल०ओ० (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन) 2005 की रिपोर्ट के अनुसार, जबरन श्रम का उपयोग करके प्रतिवर्ष कम से कम US$44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक मुनाफा होता है, जिसमें से US$32 बिलियन मुनाफा दुर्व्यापार के माध्यम से होता है|

- दुर्व्यापार किए जाने वाले व्यक्ति का शोषण करना बहुत आसान होता है; क्योंकि निम्न तथ्यों के कारण वह बहुत कमजोर होता है – अपरिचित माहौल, अलग भाषा, परिवार,

दोस्तों और शुभचिंतकों का समर्थन साथ न होना, प्रेरणास्पद और उत्साहवर्धक बातों से दूर हो जाना, बच्चों के मामलों में सस्ता/मुक्त श्रम आदि|

दुर्व्यापार का शिकार

निम्न व्यक्ति दुर्व्यापार से पीड़ित माने जाएँगे –

- अवैध व्यापार के लिए बेचा गया कोई भी व्यक्ति पीड़ित माना जाएगा, भले ही उसकी राष्ट्रीयता, आयु या लिंग कुछ भी हो|
- जिन बच्चों ने 18 वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में संलग्न हैं तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत जो न्यूनतम मजदूरी नियत है, उससे भी कम वेतन में काम कर रहे हैं|
- कोई भी व्यक्ति, जिसकी अवस्था कुछ भी हो, धन लाभ या अन्य कोई लाभ देने की बात उससे पहले ही कर ली गई है, किन्तु अब वह न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर काम कर रहा है|
- किसी भी व्यक्ति को अगवा किया हुआ माना जाएगा, यदि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) की धारा 2 के अनुसार, उसे देखभाल और संरक्षण की जरुरत है, इसलिए वह पीड़ित है, जिसे बचाया जाना चाहिए|
- कोई भी व्यक्ति, जिसे बेगार के लिए धमकी देकर, बल-प्रयोग से अथवा अन्य किन्हीं बाध्यकारी उपायों द्वारा अगवा करके, झांसा देकर, धोखा देकर, खरीद-फरोख्त करके उसे अपने अधीन रखा गया है|

इसी तरह की अन्य परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, जिनमें कोई भी व्यक्ति दुर्व्यापार का शिकार हो जाता है|

दुर्व्यापारी कौन है

दुर्व्यापार करने वाला कोई भी ऐसा ब्यक्ति हो सकता है, जो -

- अवैध व्यापार की प्रक्रिया के किसी भी काम में शामिल हो
- जो दूसरों का शोषण कर अपना लाभ लेता है और मुनाफा और सुविधा प्राप्त करता है

- दुर्व्यापार करने वाला एक श्रृंखला के माध्यम से गुजरता है
- स्रोत क्षेत्र के बिंदु से अंतिम गंतव्य के मुद्दे तक
- इसके बाद निरंतर उसका शोषण चक्र चलता रहता है

- दुर्व्यापारी कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है, जो अवैध व्यापार की नीचे दी गई प्रक्रिया में शामिल हो –
    - भर्ती करने वाला
    - मालिकों का एजेंट
    - दुर्व्यापार के शिकार व्यक्तियों का विक्रेता
    - ट्रांसपोर्टर
    - साजिशकर्ता
    - बहकाने वाला
    - पूँजी लगाने वाला
    - प्लेसमेंट एजेंसियां
    - माता-पिता और अभिभावक, जो अपने बच्चों और संरक्षण में रहने वाले नाबालिग को जानबूझकर बेचते हैं अथवा बेचने का कारण बनते हैं
    - वह लोग, जो अगवा करने के कार्य के दौरान पीड़ित को हिरासत में रखते हैं
    - कोई भी व्यक्ति, जो मानव दुर्व्यापार की प्रक्रिया के किसी भी कार्य में शामिल है
    - नियोक्ता

दुर्व्यापार करने वाला कैसे काम करता है
मांग और आपूर्ति श्रंखला

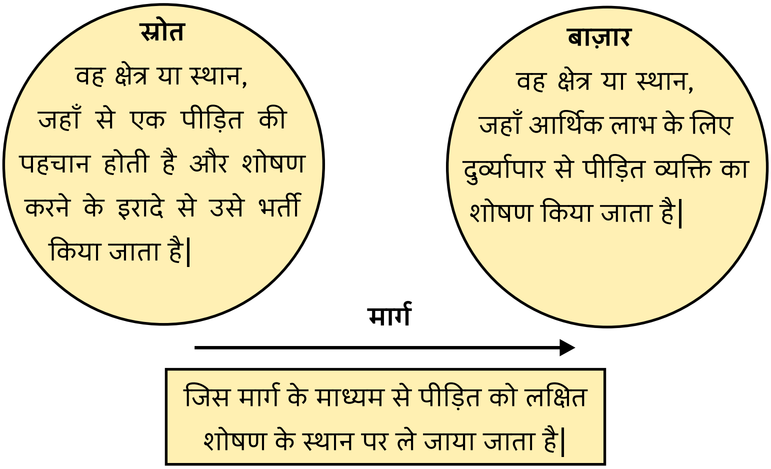

दुर्व्यापार के शिकार व्यक्तियों का अपने जीवन और उसे जीने के तरीकों पर तब तक कोई नियंत्रण नहीं होता, जब तक उनके बचाव का प्रयत्न नहीं किया जाता|

कौन दुर्व्यापार की शिकायत दर्ज कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति टेलीफ़ोन पर, ईमेल पर, हेल्पलाइन पर, व्यक्तिगत रूप से या किसी भी अन्य माध्यम से दुर्व्यापार की घटना की रिपोर्ट कर सकता है और शिकायत दर्ज कर सकता है| शिकायतकर्ता निम्न में से कोई भी हो सकता है –

- माता-पिता या कानूनी अभिभावक
- गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)
- रिश्तेदार
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) /राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)/ राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (नालसा)
- समाज सेवक
- श्रम निरीक्षक/ श्रम विभाग
- रेलवे पुलिस

- सभी सरकारी कर्मचारी
- नर्सिंग होम या अस्पताल का नर्स, डॉक्टर या प्रबंधन
- कोई भी व्यक्ति, जिसे इस घटना के बारे में पता है
- कोई भी व्यक्ति, जिसका संबंध दुर्व्यापार से पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा या भलाई से है
- स्वयं पीड़ित

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित स्रोत भी दुर्व्यापार की घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

बच्चों के मामलों में	**महिलाओं के मामलों में**
• बाल कल्याण समिति • चाइल्डलाइन 1098 या अन्य हेल्पलाइन सेवाएं • राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) • राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) • बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ) • बच्चे खुद • विशेष किशोर पुलिस यूनिट (एसजेपीयू) • जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) • बाल विवाह के मामले में बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) • श्रम निरीक्षक/श्रम विभाग	• राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) • राज्य महिला आयोग (एससीडब्ल्यू) • पुलिस स्टेशन में महिला सेल • महिला खुद

शिकायत कहाँ दर्ज की जा सकती है?

दुर्व्यापार की शिकायत मुख्य रूप से पुलिस स्टेशन में दर्ज की जानी चाहिए|
इसके अलावा, नीचे दिए गए अधिकारियों में से किसी के भी पास शिकायत की जा सकती है|अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के बाद स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कर सकता है या फिर प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने और जांच आरभ करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त शिकायत को आगे भेज सकता है|

- मानव दुर्व्यापार विरोधी इकाई (एएचटीयू)
- प्रासंगिक ऑनलाइन पोर्टल्स
- उप प्रभागीय न्यायाधीश (एसडीएम)
- श्रम विभाग

यदि रास्ते में हैं, तो उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं

रेलवे: जीआरपी, आरपीएफ

क्रॉस बॉर्डर: बीएसएफ, सीआरपी, सीबीआई

चाइल्ड लाइन या महिला हेल्पलाइन या कोई भी अन्य हेल्पलाइन

बच्चों के मामलों में

- बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी)
    - विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू)
    - चाइल्ड लाइन
    - बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)
- बाल कल्याण अधिकारी (सीडब्ल्यूओ)
- जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू)
- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर)
- श्रम विभाग के जिला कार्यबल (डीटीएफ)

महिलाओं के मामलों में

- राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू)
- राज्य महिला आयोग (एससीडब्ल्यू)
- पुलिस स्टेशन में महिला सेल
- कोई हेल्पलाइन
- दुर्व्यापार के अपराध की शिकायत कैसे दर्ज करें?

जब किसी पीड़ित द्वारा दुर्व्यापार या संबंधित अपराध के बारे में शिकायत उस स्थान पर की जाती है, जहाँ अपराध नहीं हुआ है, तो पुलिस स्टेशन द्वारा एक शून्य प्राथमिकी (जीरो एफआईआर) दर्ज की जा सकती है|

प्रथम सूचना रिपोर्ट {एफआईआर} उस स्थान पर दर्ज की जाये, जिस मार्ग (ट्रांजिट) से पीड़ित को गंतव्य स्थान (मार्किट) पर ले जाया गया हो|

मानव दुर्व्यापार से संबंधित मुद्दों के लिए कानून के प्रावधान

बाल श्रम	**भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)** धारा 370, 370ए, 342, 343, 344, 363ए, 374 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** धारा 74-88, 80-85, 87, 42, 33-34 (बच्चों के मामलों में) **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016** धारा 14
बंधुआ मजदूर	**भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)** धारा 370, 370ए, 342, 343, 344, 363ए, 374 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** धारा 74-88, 80-85, 87, 42, 33-34 (बच्चों के मामलों में) **बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 2016** धारा 14 (बच्चों के मामलों में) **बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976** धारा 16-23 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) अधिनियम 1989 धारा 3(एच)

यौन शोषण	**भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)** धारा 370, 370ए, 342, 343, 344, 346, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 366ए, 366बी, 367, 371, 372, 373, 376, 377 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** धारा 74, 75, 81 (बच्चों के मामलों में) **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956** धारा 3-7 **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012** धारा 3-18 (बच्चों के मामलों में) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/ एसटी) अधिनियम 1989 धारा 3(डब्ल्यू)
बाल विवाह	**बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006** धारा 9,10,11 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** (बच्चे के साथ क्रूरता) धारा 75, 81
बाल सैनिक और गिरोह में बच्चे	**किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015** धारा 83 (बच्चों के मामलों में) **भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)** धारा 370, 370ए
अंगों को जबरन हटाना	**मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994** धारा 18, 19, 20 **भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)** धारा 370, 370ए
ऑनलाइन दुरुपयोग, अश्लीलता	**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम** धारा 66, 67 **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012** धारा 14-15 (बच्चों के मामलों में)

लापता बच्चे	**भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)** धारा 370 और 370ए और अपहरण और व्यपहरण से संबंधित अपराध * 10 मई 2013 को बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ (डब्ल्यू पी {सिविल} 75 का 2012) मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायलय के निर्देशों के अनुसार, –'गुमशुदा बच्चे के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर, दुर्व्यापार या अपहरण के मामले के रूप में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की जानी चाहिए| ** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संदर्भित मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) - http://www.wcd.nic.in/acts/sop-casesmissing-children

बचाव प्रक्रिया

मानव दुर्व्यापार एक गंभीर अपराध है और मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है| इसके उन्मूलन के लिए एक 'अधिकार आधारित दृष्टिकोण' की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करे कि यह कानून पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं और अपराधियों को दण्डित कर रहे हैं| जिन अधिकारियों को इन पीड़ितों से सरोकार है, उन्हें संवेदनशील होना चाहिए और पीड़ित की मन:स्थिति और दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर इन मुद्दों को समझना चाहिए| पीड़ितों के बारे में या उन पर जो भी निर्णय लिया जाये, वह उनके सर्वश्रेष्ठ हित में होना चाहिए| पीड़ित को संरक्षण और विचार-विमर्श का तथा उन सभी कार्यों की जानकारी पाने का अधिकार है, जो पीड़ित से संबंधित हैं|

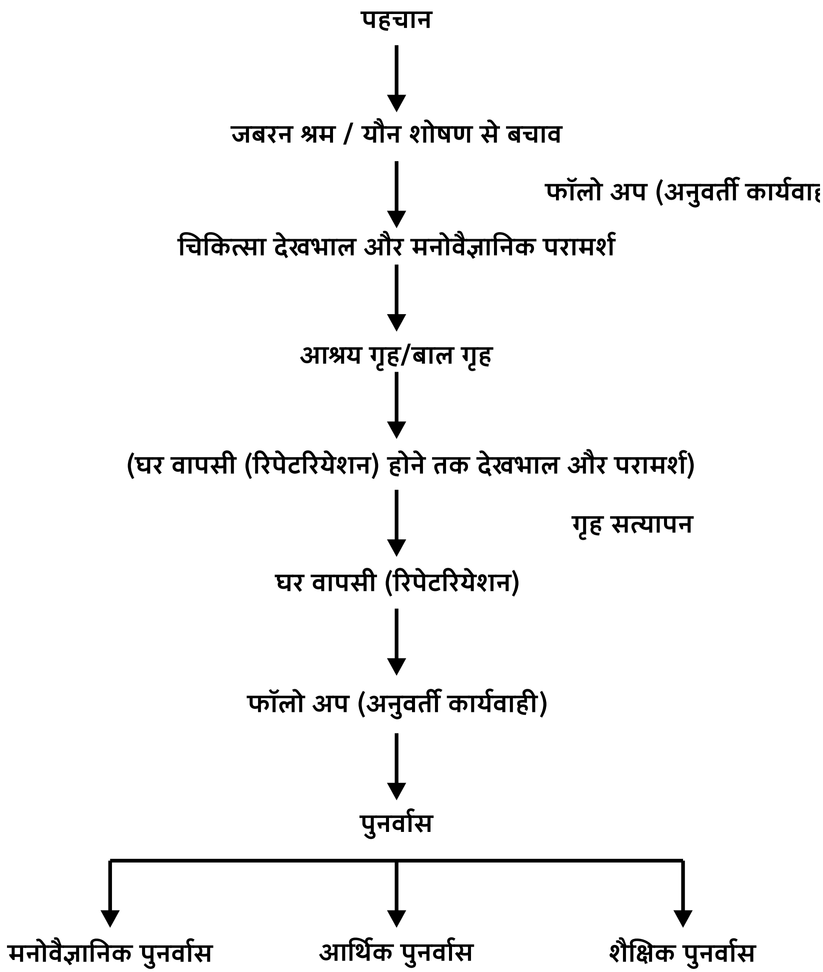

पुनर्वास

i. मनोवैज्ञानिक पुनर्वास

बचाए हुए बंधुआ मजदूर को इस बात के लिए आश्वस्त करना और विश्वास दिलाना बहुत जरुरी है कि वह एक इंसान है| उसे भी आजीविका पाने और आर्थिक रूप से संपन्न होने तथा एक सभ्य जीवन जीने का अधिकार है| जब तक उसे मनोवैज्ञानिक ढंग से आश्वस्त नहीं किया जाएगा कि ऋण उसके भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, तब तक पूरी संभावना है कि वह फिर से दुर्व्यापार की चपेट में आ जाएगा|

ii. आर्थिक क्षतिपूर्ति

- **सामाजिक पुनर्वास:** दुर्व्यापार से **पीड़ित बच्चों के लिए**
  - बाल कल्याण समिति प्रत्येक बच्चे के सम्बन्ध में पुनर्वास कार्ड जारी करेगी|
  - बाल कल्याण समिति को व्यक्तिगत देखभाल योजना तैयार करनी होगी|
  - जिन बच्चों के गृह सत्यापन की रिपोर्ट स्वीकृत नहीं है, उन्हें निम्न स्थानों पर रखा जा सकता है:
    - बाल गृह
    - उपयुक्त कौशल केंद्र
    - उपयुक्त व्यक्ति
    - पालन पोषण देखभाल

जब तक वह 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक व्यक्तिगत देखभाल योजना के माध्यम से बालक की बाल कल्याण समिति द्वारा समय-समय पर निगरानी आवश्यक है| किशोर न्याय अधिनियम की धारा 45 के तहत शर्तों के अधीन, इस तरह के बच्चे को प्रत्याभूति (स्पांसरशिप) प्रदान की जा सकती है| जब बच्चा 18 वर्ष की अवस्था का हो जाता है, अधिनियम की धारा 46 के तहत उन्हें भविष्य में भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकती है|

यदि पीड़ित कोई महिला है, जिसे वापस नहीं भेजा जा सकता है, तो उसे उज्ज्वला योजना शरण के तहत आश्रय दिया जा सकता है और उस समय तक के लिए सरकार द्वारा एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में नामांकित किया जा सकता है, जब तक कि उसे उपयुक्त नौकरी नहीं मिल जाती और पुन: समाज की मुख्यधारा से नहीं जोड़ दिया जाता|

- **आर्थिक संरक्षण**

दुर्व्यापार से पीड़ित व्यक्ति मुआवजे की निम्नलिखित योजनाओं का पात्र है:

- **बंधुआ मजदूर पुनर्वास के लिए केन्द्रीय वृत्तखंड योजना, 2016** के तहत
  - ❖ 20000 रुपये की तत्काल वित्तीय सहायता| यह योजना दुर्व्यापार, बंधुआ श्रमिक, बाल मजदूरी, जबरन वेश्यावृत्ति, भीख मांगने आदि मामलों पर लागू होती है|
  - ❖ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुक्ति प्रमाणपत्र जारी करने पर 3,00,000 रुपए तक अतिरिक्त मुआवजे का प्रावधान है|

- **दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357क के अनुसार,** "यदि न्यायालय द्वारा मुआवजे की सिफारिश की जाती है, तो यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) इस योजना के अधीन दिए जाने वाले मुआवजे की मात्रा के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे|

- **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम** के तहत, जिलाधिकारी/उप प्रभागीय अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी तत्काल राहत प्रदान करने के लिए नियम 12(4) के तहत नकदी में व्यवस्था करेंगे|

- दुर्व्यापार के मामले में जबरन श्रम के लिए पीड़ित को रोजगार की उस पूरी अवधि के लिए न्यूनतम मजदूरी की दर पर पिछला सारा भुगतान किया जाता है, जिस अवधि में वह काम कर रहा था|

इसके अतिरिक्त, **बच्चों के मामलों में** उसे निम्नलिखित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार है:

- **आर्थिक मुआवजा:** एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य – एआईआर 1997 एससीसी 699 न्याय निर्णय के अनुसार –

  - नियोक्ता द्वारा 'बाल श्रमिक के पुनर्वास एवं कल्याण निधि' में प्रत्येक बच्चे के लिए 20,000 रुपए का भुगतान किया जायेगा| इस निधि का उपयोग केवल उस बच्चे के हितलाभ के लिए किया जायेगा|

इसके अलावा सरकार उस बच्चे के परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान कराएगी या इस निधि में 5,000 रुपए प्रति बच्चे की दर से अंशदान करेगी|

- बाल श्रम के मामले में, बाल श्रम (निषेध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (सीएलपीआरए, 2016) की धारा 14(बी) के अनुसार, प्रत्येक जिले में बाल और किशोर श्रम पुनर्वास कोष की स्थापना करनी होगी| सरकार द्वारा इस कोष में प्रत्येक बालक के लिए 15,000 रुपए की अतिरिक्त रकम जमा की जाएगी| जमा की गई रकम और उससे उपचित आय को उस बालक को दिया जायेगा| ये जुर्माना बकाया भुगतान के अतिरिक्त अदालत द्वारा उस वयस्क या बच्चे को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे जबरन श्रम की स्थिति में ले जाया गया था|

- अन्य सरकारी लाभ: विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित के आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, किसी भी अन्य पहचान पत्र/पते के प्रमाण और बैंक खाते की आवश्यकता है|

iii. **शैक्षिक पुनर्वास:** बच्चों के मामले में, मजदूरी से छुड़ाए गये बच्चों या खतरनाक रोजगारों से छुड़ाए गये किशोरों को उपयुक्त शिक्षा सुविधाओं से जोड़ा जायेगा, जैसे कि:

- यदि बच्चा 5 से 8 साल के बीच है, तो उसे शिक्षा के अधिकार के तहत सीधे सर्वशिक्षा अभियान से जोड़ा जायेगा|
- यदि बच्चा 9 से 14 साल के बीच का है, तो वह एनसीएलपी के विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में दो वर्ष की सेतु (ब्रिज) शिक्षा में भाग लेगा और उसके बाद सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम में जोड़ा जायेगा|
- 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, जिसे शोषण के अन्य रूपों से बचाया गया है, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है| बड़े बच्चों को स्थानीय कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है|

दुर्व्यापार का मुकाबला करने में गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

क्रम सख्या	कार्य
	निवारण (रोकथाम)
1	खुफिया संग्रह सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस के साथ काम करें
2	पुलिस के उपयोग के लिए मानव दुर्व्यापार पर खुफिया जानकारी का स्रोत बनाएं

क्रम सख्या	कार्य
	बचाव के लिए की जाने वाली कार्रवाई
1	अपराधी या संभावित अपराध के संबंध में सूचना मिलने पर पुलिस को सूचित करें। पीड़ित द्वारा मदद की आवश्यकता होने पर शिकायत भी दर्ज की जा सकती है
2	दुर्व्यापार की घटना की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करें
3	बचाव से पहले बचाव दल के साथ *रसद सहयोग* (लॉजिस्टिक सपोर्ट) का होना सुनिश्चित करें
4	कानून की आवश्यकताओं के अनुसार बचाव दल के गठन में सहायता प्रदान करें
5	पीड़ितों और अभियुक्तों को अलग-अलग परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करें
6	जांच के लिए घर पहुंचने वाले पीड़ितों की संख्या, पहुँचने का समय और सुरक्षित स्थान के विवरण आदि की सूचना दें
7	बचाव प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करें
8	पीड़ित को स्थिति समझाने और उसको परामर्श देने (काउंसलिंग करने) में पुलिस की सहायता करें

क्रम सरव्या	कार्य
	बचाव
1	सुनिश्चित करें कि बचाव के दौरान पीड़ित को गिरफ्तार नहीं किया गया है
2	सभी पीड़ितों की पहचान की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करें

क्रम सरव्या	कार्य
	बचाव के बाद
1	पीड़ित की परिस्थितियों के तहत उसे परामर्श दें और उसके लिए स्थितियां यथासंभव सुविधाजनक बनाएं।
2	अदालत की कार्यवाही से पहले पीड़ित की सुनवाई, तैयारी और परामर्श की प्रक्रिया समझाने में पुलिस की सहायता करें
3	पीड़िता के आयु सत्यापन में पुलिस की सहायता करें

क्रम सरव्या	कार्य
	पुनर्वास और मुआवजा
1	सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को उचित मुआवजा मिलता है
2	गृह सत्यापन हेतु डेटा एकत्रित करने के लिए वयस्कों के मामले में आईओ और बच्चों के मामले में सीडब्ल्यूसी की सहायता करें
3	बाल कल्याण समिति के निर्देश पर एक जांच करें और एक सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करें
4	विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पीड़ित का आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, बनाया गया पुनर्वास कार्ड, कोई अन्य पहचान पत्र/ पता प्रमाण और बैंक खाता प्राप्त करें।
5	संबंधित बाल कल्याण समिति के निर्देश पर बच्चे को प्रत्यावर्तन के लिए साथ ले जायें

क्रम सख्या	कार्य
	अनुवर्ती (आगे की) कार्यवाही (फॉलो-अप)
1	सुनिश्चित करें कि बच्चे की व्यक्तिगत देखभाल योजना पर नजर रखी जा रही है और इस हेतु अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) या बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की सहायता करें। यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चे का फिर से दुर्व्यापार नहीं होगा
2	बच्चे को पुनर्वास उपाय प्रदान करने में बाल गृहों की सहायता करें

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)